न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 178 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 600

1 विजय कुमार दत्तक पुत्र राधाकिशन जी अग्रवाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 21.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तह0 निम्बाहेडा की नई खाता संख्या 658 आराजी नं0 357 रकबा 0.1100 है0 स्थित है जिसके पुराने आराजी नं० 278 रकबा 9 बिस्वा स्थित है। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी पेश है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादग्रस्त आराजियात पूराने राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की गोदी माता शांतिबाई धर्मपत्नी राधाकिशनजी महाजन निवासी कैली के खातेदारी कब्जे काश्त में संवत् 2046–2049 की जमाबंदी मे दर्ज थी, जो आराजी नं० 271,273,274,275,276,277,278 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी उक्त आराजियात में से आराजी नं० 277 रकबा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी की माता शांतिबाई ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08 / 08 / 1989 से 9000 / – रुपये में मखनलाल पिता भुरालालजी अग्रवाल निवासी कैली को उक्त आराजी नं० 2[illegible] के अनुसार मय हिस्सा आराजी अनुसार पिलाई हेतु चाह नम्बर 2[illegible] रकबा [illegible] बिस्वा मे से हिस्से अनुसार चाह का पिलाई का अधिकार [illegible] जिसका नामांतरण संख्या 1240 से जमाबंदी संवत् 2046–2049 पर आराजी नं० 277 व चाह के हिस्से अनुसार पिलाई हेतु नामांतरण राजस्व [illegible] द्वारा खोला गया परन्तु [illegible] कर्मचारियों की गलती की वजह से जमाबंदी [illegible]न संवत् 2050–2053 में [illegible] कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजी चाह नम्बर 278 रकबा 9 बिस्वा आता चाह को जमाबंदी में दर्ज करते समय शांतिबाई पत्नी राधाकिशन महाजन व मखनलाल पिता भुरालाल अग्रवाल का नाम संयुक्त दर्ज कर दिया, जबकि शांतिबाई के नाम 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी और 7 विद्या 12 बिस्वा मे से 16 बिस्वा भूमि का हिस्सा चाह अनुसार 1 बिस्वा भूमि ही राजस्व कर्मचारियों को नवीन रोटेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

संवत् 2050–2053 में दर्ज करना थी. परन्तु उक्त त्रुटी राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से संयुक्त रुप बराबर बराबर दर्ज कर दी जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से 1/2 –1/2 हिस्सा चाह मे दर्ज कर दिया है जिसे नवीन राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार दुरुस्त कर तरमीम किया जाना आवश्यक हैं। इसलिए न्यायहित में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि को मौके पर काबिज अनुसार नवीन राजस्व रेकार्डमें 0.0100हे0 भूमि मखनलाल के वारिसान नाम रखते हुवे शेष भूमि मे से 0.0150हे0 भूमि वरदीचन्द पिता रामचन्द्र को विक्रय कर देने से उसके नाम रखते हुवे शेष 0.0850हे0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया की संलग्न विक्रय पत्रों अनुसार आराजी नंम्बर 271 असिंचित होकर असिंचित विक्रय हुआ है। प्रार्थीया शान्तिबाई विक्रेता के खाता संख्या 545 पर शेष किता 6 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा का सिंचित अंकन होकर आराजी नंम्बर 277 रकबा 16 बिस्वा को मय सिंचाई हिस्सा अनुसार आराजी नंम्बर 278 आ. चाह से हिस्सा विक्रय होना अंकन है। उक्त विक्रय पत्रों का नामान्तरकरण संख्या 1240 निर्णित हुआ, जिसमें आराजी नंम्बर 271 रकबा 8 बिस्वा एव आराजी नंम्बर 277 रकबा 16 बिस्वा विक्रेता शान्तिबाई से क्रेता मक्खनलाल पिता भुरालाल के नाम दर्ज हुआ तथा आराजी नंम्बर 278 रकबा 9 बिस्वा आचाह में विक्रय किया गया हिस्सा स्पष्ट अंकन नही होने से विक्रेता क्रेता का हिस्सा संयुक्त रूप से अंकन कर दिया गया है। विक्रय रकबा 16 बिस्वा के हिस्सा अनुसार यानि विक्रेता का कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा में से 16 बिस्वा का हिस्सा यानि लगभग 1 बिस्वा ही क्रेता मक्खनलाल के नाम दर्ज होना था, परन्तु हिस्सा स्पष्ट अंकन नही होने से सेग्रीगेशन के दौरान क्रेता मक्खनलाल का 1/2 हिस्सा मानकर हिस्सा अंकन कर दिया गया है, जो शुद्धि योग्य है। क्रेता मक्खनलाल के वारिसान के नाम हाल जमाबन्दी संवत् 2077–80 मे दर्ज हिस्सा 1/2 के बजाय 1/11, वरदीचन्द पिता रामचन्द्र का हिस्सा 3/22 एव विक्रेता के वारिस विजयकुमार दत्तक पुत्र राधाकिशन के 17/22 हिस्सा गत आराजी नंम्बर 278 के हाल आराजी नंम्बर 357 रकबा 0.11 है0 मे दर्ज होना विक्रय पत्र व रिकार्ड अनुसार है। मौका चाह आराजी नंम्बर 357 में से हिस्सा भी क्रेता मक्खनलाल का 1/11 होना ही जाहिर आया है।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि विक्रेता का कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा में से 16 बिस्वा का हिस्सा यानि लगभग 1 बिस्वा ही क्रेता मक्खनलाल के नाम दर्ज होना था, परन्तु हिस्सा स्पष्ट अंकन नही होने से सेग्रीगेशन के दौरान क्रेता मक्खनलाल का 1/2 हिस्सा मानकर हिस्सा अंकन कर दिया गया है, जिसे पुनः शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

1. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो निम्न प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

2. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

3. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा संवत् 2077–80 की खाता संख्या 55 पर दर्ज ख्क्रेता मक्खनलाल के वारिसान के नाम हाल जमाबन्दी संवत् 2077–80 में दर्ज हिस्सा 1/2 के बजाय 1/11, वरदीचन्द पिता रामचन्द्र का हिस्सा 3/22 एवं विकता के वारिस विजयकुमार दत्तक पुत्र राधाकिशन के 17/22 हिस्सा गत आराजी नंम्बर 278 के हाल आराजी नंम्बर 357 रकबा 0.11 है0 में दर्ज होना विक्रय पत्र व रिकार्ड अनुसार है। मौका चाह आराजी नंम्बर 357 में से हिस्सा भी क्रेता मक्खनलाल का 1/11 होना प्रमाणित होता है।

आदेश

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी संवत् 2077–80 वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तह0 निम्बाहेडा की नई खाता संख्या 658 आराजी नं0 357 रकबा 0.1100 है0 स्थित है जिसके पुराने आराजी नं० 278 रकबा 9 बिस्वा भूमि में मक्खनलाल के वारिसानो के नाम हिस्सा 1/2 के बजाय 1/11, वरदीचन्द पिता रामचन्द्र का हिस्सा 3/22 एवं विक्रता के वारिस विजयकुमार दत्तक पुत्र राधाकिशन के 17/22 हिस्सा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

6. निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर मय से ग्राम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

21/9/23
(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा